Downloaded from http://abcaus.in

पत्र संख्या–आई0टी0– ई–वे बिल/2017–18/ 1624 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: जनवरी, 11 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासन की विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–1014/11–9(52)/17–U.P. GST Rules 2017 Order (31)-2017 दिनांक 21.07.2017 के कम में दिनांक परिपत्र संख्या–स0द0जी0एस0टी0/माल परिवहन/2017–18/1102/1718024/वाणिज्य कर दिनांक 09.08.2017 के माध्यम से अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश में माल के परिवहन के समय ऑनलाइन ई–वे बिल डाउनलोड करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी थी।

विभाग में वैट व्यवस्था में पंजीकृत व्यापारियों तथा उनमें से जी0एस0टी0 में माइग्रेट करके ई–वे बिल डाउनलोड करने वाले व्यापारियों के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई व्यापारियों द्वारा पूर्व में ई–संचरण व्यवस्था हेतु आवेदन नहीं किया गया था परन्तु जी0एस0टी0 व्यवस्था में इनके द्वारा ई–वे बिल डाउनलोड करने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है तथा उनके द्वारा प्रान्त बाहर से माल की खरीद की जा रही है। ऐसे व्यापारियों की सूची VAT MIS के अन्तर्गत Forms के Link पर उपलब्ध है। सूची में उपलब्ध व्यापारियों के व्यापार पैटन में जी0एस0टी0 व्यवस्था में हुए परिवर्तन के कारण जांच अपेक्षित है।

कृपया उक्त के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सचलदल अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि :–ज्वाइण्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर, मुख्यालय को अनुश्रवण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

11/01/18

ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।